ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
(A MINIRATNA – Central PSU of Govt. of India)
G.T. ROAD, KANPUR-209217
Toll free no. 18001805129, website: www.alimco.in

Notification for ITI & Diploma Apprentices under Apprenticeship ACT

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India H.Q. Kanpur invites applications for engagement of Apprenticeship Trainees under Apprenticeship Act in various trades i.e Fitter, Electrician, Electronic Mechanic, Machinist, Turner, Welder (Gas & Electric), Mechanic Machine Tool Maintenance, Plumber, COPA (Computer Operator, & Programming Assistant), Sheet Metal Worker and Plastic Processing Operator for candidates who have ITI Certificate and Diploma Engineering Electronic Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science/ Information Technology, Modern Office Management & Secretorial Practice for candidates who have Diploma Certificate, on Apprenticeship stipend as notified by Govt. of India for a period of one year. Last date for receipt of applications through speed post/registerd doc/courier etc. 11/05/2026. Application recieved after the last date would not be taken into consideration and would be summarily rejected. For details and Guidelines for Engagement of Apprenticeship Training please logon to our website www.alimco.in. You may keep in touch with our website for further information in future. Kindly note that no separate communication will be sent by the Corporation in this regard.

Ref. No.AD 3M 09 /April-2026 **Sr. Manager (Administration)**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

(भारत सरकार का एक "मिनीरत्न" उपक्रम)

जी.टी. रोड़, कानपुर-209217

टोलफ्री नं. 18001805129, वेबसाइट: www.alimco.in

अप्रेटिंसशिप एक्ट के अंतर्गत आई.टी.आई.एवं डिप्लोमा प्रशिक्षुओं हेतु अधिसूचना

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अपने मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेडों - फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिष्ट, टर्नर, वेल्डर (गैस एण्ड इलेक्ट्रिक), मैकेनिक मशीन टूल मेन्टिनेंस, प्लम्बर, कोपा (कंम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट), शीट मेटल वर्कर एवं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में अप्रेटिंसशिप एक्ट के अन्तर्गत आई.टी.आई. उत्तीर्ण एवं इंजी. डिप्लोमा इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकैनिकल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस/ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी और एम.ओ.एम. (मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस), में अप्रेटिंसशिप एक्ट के अन्तर्गत डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) उत्तीर्ण अभ्यार्थियों हेतु एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अप्रेटिंसशिप देय वृत्तिका (Stipend) पर आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

निगम में आवेदन पत्र स्पीड-पोस्ट / पंजीकृत-डाक / कूरियर इत्यादि से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 11/05/2026 है। निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त किए गये आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा एवं उन्हें निरस्त माना जायेगा। विस्तृत जानकारी एवं शिक्षुता प्रशिक्षण से सम्बन्धित दिशा निर्देश (Guidelines for Engagement of Apprenticeship Training) के लिए कृपया आप हमारी वेवसाइट www.alimco.in पर लॉग-इन करें तथा हमारी वेबसाइट के सम्पर्क में रहें। कृपया यह संज्ञान में रखें कि निगम द्वारा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई भी जानकारी नही दी जायेगी।

संदर्भ संख्याः- एडी 3 एम 09 /अप्रैल-2026 **वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन)**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

भारत सरकार का "मिनीरत्न" उपक्रम

जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर

संदर्भ: एडी 3 एम09/अप्रैल-2026 **दिनांक: 21/04/2026**

अधिसूचना

विषय- ट्रेड अप्रेंटिसशिप (एक्स-आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक) के लिए एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एलिम्को, कानपुर में एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आई.टी.आई. उतीर्ण (NCVT/SCVT) / पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यार्थियों से अनुरोध है कि अधिसूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही आवेदन करें।

उम्मीदवार के लिए पात्रता मापदंड-

1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उम्मीदवार की दिनांक 01.04.2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट)।
3. आई.टी.आई. उम्मीदवार के पास 10+2 शिक्षा पद्दति के अन्तर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित तकनीकी/ गैर-तकनीकी ट्रेड में क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के अंतगर्त एनसीवीटी/एससीवीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित ट्रेड की सूची संलग्न है।
4. पूर्ण कालिक डिप्लोमा धारी उम्मीदवार के पास 10+2 शिक्षा पद्दति के अन्तर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित ट्रेडों में यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई (AICTE) /राज्य सरकार/केंद्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित ट्रेडों की सूची संलग्न है।
5. जो उम्मीदवार पूर्व में अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या किसी अन्य संस्थान से अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत पहले अप्रेंटिसशिप पंजीकृत हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
6. एक वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
7. उम्मीदवार के पास आयकर विभाग-भारत सरकार द्वारा जारी पैनकार्ड होना चाहिए।
8. चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।
9. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को विज्ञप्ति तथा उसके तहत चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार किसी भी समय है ।
10. अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक व ई-मेल के द्वारा दी जायेगी।
11. चयनित अभ्यर्थियों के पास उनके निवास प्रमाण पत्र के पते के अनुसार ही चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस मण्डलायुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक) तथा चिकित्सीय प्रमाण पत्र (जिला अस्पताल से मुख्य चिकित्साधिकारी) द्वारा जारी किया गया हो।
12. अप्रेंन्टिसशिप पोर्टल पर अभ्यर्थी अपनी ई-मेल आई.डी., मोबाइल नम्बर, आई.टी.आई. अंक पत्र के साथ प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि, वर्ग तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण संबंधी सही जानकारी भरे। गलत जानकारी दिये जाने, गलत पते के कारण डाक पत्र नहीं पहुँचने/डाक पत्र विलम्ब से पहुँचने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त होने तथा चयन न होने पर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

क्रमशः----------2

चयन प्रकिया

1. अभ्यार्थियों का चयन निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा एवं चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
2. प्रशिक्षुओं के लिये आरक्षण शिक्षुता नियमावली 1992 के खण्ड-5 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
3. शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश (Guidelines for Engagement of Apprenticeship Training) निगम की वेबसाइट **www.alimco.in** पर उपलब्ध है।

संस्थान में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11/05/2026 है। (आवेदन प्रारुप एलिम्को वेबसाइट www.alimco.in पर उपलब्ध है।)

नोटः- आवेदन पत्र स्पीडपोस्ट / रजिस्ट्रड डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें। कोई भी आवेदन निगम में हस्तगत (By hand) या ई-मेल से स्वीकार नहीं किये जायेगें।

उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश

1. आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार (पॉलीटेक्निक) छात्र portal www.nats.education.gov.in पर एक अप्रेंटिस के रुप में पंजीकरण करायें और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में अवश्य दर्शायें **(पंजीकरण एवं प्रोफाइल की फोटोकॉपी भी संलग्न करें)** अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

2. आवेदक आवेदन पत्र को डाउनलोड करे और माँगी गई जानकारी के अनुसार भरकर स्पीडपोस्ट / पंजीकृत डाक /कूरियर /साधरण डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर दिनांक 11/05/2026 तक भेजे। कोई भी आवेदन निगम मे हस्तगत (By hand) या ई-मेल से स्वीकार नहीं किये जायेगें।

   वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन)
   भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
   जी.टी. रोड, नारामऊ
   कानपुर-209217

3. उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें।
4. उम्मीदवार आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों पर हस्ताक्षर अवश्य करें।

क्रमशः...3

5. BOAT के निर्देशानुसार डिप्लोमाधारी वर्ष 2022, 2023, 2024 एंव 2025 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही प्रशिक्षण के लिए पात्र होगें।

6. अपूर्ण आवेदन पत्र या उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे।

7. चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना पंजीकृत डाक/ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी।

8. एलिम्को किसी पोस्टल विलम्ब / गलत डिलीवरी या पोस्टल ट्रांजिट में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9. चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण अवधि के लिए एक करार का निस्पादन करना आवश्यक होगा।

10. प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार निर्धारित वृत्तिका दी जायेगी।

11. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अप्रैंटिसशिप करार को समाप्त कर दिया जाएगा और एलिम्को उन्हे किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

12. तथ्यों को छिपाने के कारण चयन प्रकिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं तत्काल उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

13. चयनित किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय सत्यापन के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे-
   (क) हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
   (ख) आरक्षित श्रेणी के साक्ष्य के रुप में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र सम्बन्धित राज्य के जिला द्वारा (एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच) या अन्य।
   (ग) आई.टी.आई. परीक्षा के प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र/ समेकित अंक पत्र।
   (घ) प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र।
   (ड) आधार कार्ड।
   (च) यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर या चयन के उपरान्त/ या ज्वाइनिंग के उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार अयोग्य पाया गया तो बिना किसी पत्राचार या सूचना के उसका अभ्यावेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा या प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

क्रमशः----------4

(अ) रिक्त आई.टी.आई. ट्रेड की सूची एवं शैक्षिक योग्यता

क्रम सं.	ट्रेड	शैक्षिक योग्यता	निर्धारित प्रशिक्षण अवधि	एस सी	एस टी	ओ.बी.सी.	ई.डब्लू.एस.	अनारक्षित	कुल पोस्ट
1	फिटर	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ फिटर ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	03	01	05	02	09	20
2	इलेक्ट्रीशियन	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		02		03	06
3	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		02	01	06	10
4	मशीनिष्ट	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ मशीनिष्ट ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		03	05
5	टर्नर	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ टर्नर ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		02	04
6	वेल्डर (गैस एण्ड इलेक्ट्रिक)	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ वेल्डर (गैस एण्ड इलेक्ट्रिक) ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		03	05
7	मैकेनिक मशीन टूल मेन्टीनेंस	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ मैकेनिक मशीन टूल मेन्टीनेंस ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष			01		02	03

8	प्लम्बर	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ प्लम्बर ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष					01	01
9	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट)	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट) ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	02	01	04	01	06	14
10	शीट मेटल	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ शीट मेटल ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		02	04
11	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंको के साथ) प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंको के साथ ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी किया गया हो।						02	02
								कुल	**74**

नोट: उपरोक्त में 2 सीटें पी.डब्लू.बी.डी. के लिए आरक्षित रहेगी।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी. रोड, कानपुर में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आई.टी.आई. उम्मीदवारो के चयन हेतु आवेदन पत्र

(अंतिम तिथि- 11/05/2026)

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा					
1	अप्रेंटिस पंजीकरण सं. (पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटोकॉपी संलग्न करें) अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।						
2	उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
3	पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
4	माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
5	जन्म तिथि					अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ यहाँ चिपकाएं	
6	लिंग						
7	आधार कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)						
8	पैनकार्ड संख्या (स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)						
9	शैक्षिक योग्यता						
9.1	हाईस्कूल में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	प्राप्तांक		पूर्णांक			
9.2	हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत						
9.3	आई.टी.आई. संस्थान का नाम एवं पता सहित						
9.4	आई.टी.आई. में ट्रेड						
9.5	आई.टी.आई. में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)		सेमेस्टर-I	सेमेस्टर-II	सेमेस्टर-III	सेमेस्टर-IV	कुल
		कुल					
		प्राप्त अंक					

9.6	आई.टी.आई. में प्राप्त प्रतिशत						
9.7	प्रमाणीकरण प्रकार (कृपया चिन्हित करें)	NCVT		SCVT			
10	जाति (स्पष्ट अक्षरों में)						
11	आप किस श्रेणी से संबंध रखते है (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)	एसीसी	एसटी	ओबीसी	पीएच	ई.डब्लू.एस	जनरल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारिरिक रूप से दिव्यांग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	सामान्य वर्ग
12	एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/अन्य होने की स्थिति में कृपया सबंधित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें	क्या प्रमाण पत्र संलग्न किया? (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)		हाँ		नही	
13	पत्र व्यवहार का पता (स्पष्ट अक्षरों में) ** पिन कोड अनिवार्य है						
		पिन					
14	सम्पर्क	लैडलाइनः-					
		मोबाइलः-					
		ई-मेलः-					
		अभिभावक मोबाइल नं. :-					

नोट- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण करायें और उस संख्या को आवेदन फार्म में दर्शायें (वेबसाइट का नाम - (www.apprenticeshipindia.gov.in) पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलिम्को Establishment में भी आवेदन करें। अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान-

दिनाँक-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (कृपया बॉक्स के अंदर करें)

(ब) रिक्त पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) ट्रेड की सूची एवं शैक्षिक योग्यता

क्रम सं.	ट्रेड	शैक्षिक योग्यता	निर्धारित प्रशिक्षण अवधि	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	ई.डब्लू.एस.	अनारक्षित	कुल
1	कम्प्यूटर साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के पूर्ण कालिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि यूजीसी / एआईसीटीई की राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष			01		01	02
2	टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के पूर्ण कालिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि यूजीसी / एआईसीटीई की राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		01	03
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के पूर्ण कालिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि यूजीसी / एआईसीटीई की राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		02	04
4	मॉर्डन आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के पूर्ण कालिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि यूजीसी / एआईसीटीई की राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01				01	02
5	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के पूर्ण कालिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि यूजीसी / एआईसीटीई की राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया हो।	एक वर्ष	01		01		02	04
								कुल	**15**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी. रोड, कानपुर में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) उम्मीदवारो के चयन हेतु आवेदन पत्र

(अंतिम तिथि-11/05/2026)

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा							
1	अप्रेंटिस पंजीकरण सं. (पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटोकॉपी संलग्न करें) अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।								
2	उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
3	पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
4	माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
5	जन्म तिथि								अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ यहाँ चिपकाएं
6	लिंग								
7	आधार कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)								
8	पैनकार्ड संख्या (स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)								
9	शैक्षिक योग्यता								
9.1	हाईस्कूल में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	प्राप्तांक		पूर्णांक					
9.2	हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत								
9.3	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) संस्थान का नाम एवं पता सहित								
9.4	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में ट्रेड								
9.5	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)		सेमेस्टर -I	सेमेस्टर -II	सेमेस्टर -III	सेमेस्टर -IV	सेमेस्टर -V	सेमेस्टर -VI	कुल
		कुल							
		प्राप्त अंक							
9.6	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में प्राप्त प्रतिशत								
9.7	प्रमाणीकरण प्रकार (कृपया चिन्हित करें)								

10	जाति (स्पष्ट अक्षरों में)						
11	आप किस श्रेणी से संबंध रखते है (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)	एसीसी	एसटी	ओबीसी	पीएच	ई.डब्लू.एस	जनरल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारिरिक रूप से दिव्यांग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	सामान्य वर्ग
12	एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/अन्य होने की स्थिति में कृपया सबंधित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें	क्या प्रमाण पत्र संलग्न किया? (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)			हाँ		नही
13	पत्र व्यवहार का पता (स्पष्ट अक्षरों में) ** पिन कोड अनिवार्य है						
		पिन					
14	सम्पर्क	लैडलाइनः-					
		मोबाइलः-					
		ई-मेलः-					
		अभिभावक मोबाइल नं. :-					

नोट- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण करायें और उस संख्या को आवेदन फार्म में दर्शायें (वेबसाइट का नाम - डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) छात्र (nats.education.gov.in) साथ ही साथ पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलिम्को Establishment में भी आवेदन करें। अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान-

दिनाँक-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (कृपया बॉक्स के अंदर करें)

शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन, मिनीरत्न -II श्रेणी में भारत सरकार
का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
जी.टी. रोड, कानपुर - 209217

1. प्रस्तावना

शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशानिर्देश निगम के मुख्यालय कानपुर तथा सभी केन्द्रों में स्थित नीचे उल्लिखित निम्नलिखित विभागों में शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया में दिशानिर्देशन प्रदान करने के लिए हैं।

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग शामिल होंगे :

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एल्मिको) द्वारा मुख्यालय कानपुर तथा एल्मिको के सभी सहायक उत्पादन केन्द्रों में उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, डीडी प्रशासन, वित्त, सामग्री विभाग जैसे विभिन्न विभागों में शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2. प्रयोज्यता :

ये दिशानिर्देश मुख्यालय तथा एल्मिको के सभी सहायक उत्पादन केन्द्रों के संबंध में लागू होंगे।

3. परिभाषा :

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार होगा :-

3.1 “शिक्षु” - का अर्थ शिक्षुता अधिनियम, 1961 ("शिक्षुता अधिनियम") तथा शिक्षुता नियमावली, 1992 (दोनों, समय समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत शिक्षुता अधिनियम के अनुसरण में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा व्यक्ति है:

3.2 "शिक्षुता प्रशिक्षण" - का अभिप्राय निगम द्वारा शिक्षुता अनुबंध एवं निर्धारित नियमों एवं शर्तों, जो शिक्षुता के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न हो सकते हैं, के अनुसरण में आयोजित किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।

4. शिक्षुओं की स्थिति

किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षु (शिक्षुओं) को प्रशिक्षार्थी माना जाएगा तथा उन्हें, शिक्षुता अधिनियम अथवा सम्बद्ध नियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के अलावा, कामगार नहीं माना जाएगा।

5. शिक्षुओं को प्रशिक्षण पर रखना

5.1 शिक्षुओं की पात्रता

5.1.2 **अर्हता एवं शारीरिक स्वस्थता** - केवल ऐसे शिक्षु (शिक्षुओं) को ही निर्दिष्ट व्यवसाय का शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विचार में लिया जाएगा जो शिक्षुता अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे;

5.2 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित प्रक्रिया

5.2.1 निगम द्वारा शिक्षु (शिक्षुओं) के प्रशिक्षण के संबंध में शिक्षुता अधिनियम तथा / अथवा सम्बद्ध नियम यथा निर्मित अथवा निर्मित किए जाने वाले नियमों में शिक्षु (शिक्षुओं) को प्रशिक्षण पर रखने के लिए बनाये गये निर्दिष्टि के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के मापदंड, वृत्तिका एवं अन्य प्रावधानों से संबंधित सभी विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा। सभी शिक्षुओं के साथ विधियों एवं नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा तथा जाति, जनजाति, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल, लिंग भेद, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा।

5.2.2 श्रेणी

शिक्षुता के लिए दो प्रकार की श्रेणियां हैं ।

(i) व्यवसाय शिक्षु - आईटीआई अर्हता प्राप्त उम्मीदवार

(ii) तकनीशियन शिक्षु (डिप्लोमा धारक)

5.2.3 स्रोत :

प्रशिक्षण के लिए शिक्षुओं का चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा:

(i) हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित ओपन विज्ञापनों के माध्यम से

(ii) निगम की वेबसाइट www.alimco.in पर भी विज्ञापन जारी किया जाएगा।

6. चयन विधि :

i. शिक्षुता अधिनियम, 1961 (समय समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित व्यवसाय / क्षेत्र के लिए मुख्यालय में आरडीएटी /बीओएटी द्वारा किए गए आवंटित सीटो तथा एल्मिको के अन्य सहायक उत्पादन केन्द्रों के लिए संमबन्धित आरडीएटी /बीओएटी द्वारा आवंटित सीटो के अनुसार परिशिष्ट-अ में उल्लिखित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

ii. आवेदकों के निष्पादन का मूल्यांकन खंड 7 के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

iii. निर्धारित मूलभूत अर्हता के अनुसार प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा संबंधित व्यवसाय के संबंध में लागू अन्य मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा।

iv. शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन बोर्ड के सम्मुख साक्षात्कार के लिए बुलाने के बुलावा पत्र साक्षात्कार की तिथि से कम से कम इक्कीस (21) दिन पूर्व पंजीकृत डाक / डाक प्रमाण / कोरियर सेवा / स्पीड पोस्ट / ई-मेल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।.

v. चयन समिति द्वारा उम्मीदवार की अर्हता, तकनीकी ज्ञान एवं साक्षात्कार में की गई प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा चयन समिति द्वारा अन्तिम चयन की सामान्य मेरिट सूची (Common Merit List) की अनुशंसा की जायेगी। चयन समिति की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

vi. चयनित उम्मीदवार को ई-मेल/स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी तथा इसकी प्रस्तुति निगम की वेबसाइट पर की जाएगी।

7. चयन समिति

7.1 मुख्यालय के लिए चयन समिति :

चयन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा :

(I) तकनीकी व्यवसाय के लिए :

(i) पीडी विभाग से एक अधिकारी जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो
(ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।
(iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से एक अधिकारी
(iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी, जो ई-I ग्रेड से कम ग्रेड से न हो ।

(II) गैर तकनीकी व्यवसाय के लिए :

(i) सामग्री प्रबंधन विभाग से एक अधिकारी जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो
(ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।
(iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से एक अधिकारी
(iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी,जो ई-Iग्रेड से कम ग्रेड से न हो।

चयन समिति के सदस्यों के नाम का अनुमोदन महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

7.2 एल्मिकों के अन्य सहायक उत्पाद केन्द्रों के लिए चयन समिति:

चयन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा :

(I) तकनीकी तथा गैर तकनीकी व्यवसाय के लिए :

(i) पीडी / विपणन विभाग से एक अधिकारी

(ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के क्रियाकलापों का संचलन करने वाला एक अधिकारी / कर्मचारी

(iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी / कर्मचारी

8. अर्हता शर्तें :

(i) **अर्हता:** ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार अर्हक परीक्षा, आई.टी.आई/ डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ निर्धारित अर्हता।

(ii) **आयु:** उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन प्रस्तुत करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट)।

(iii) **आईटीआई शिक्षुता के लिए उम्मीदवार का प्रोफाइल** www.apprenticeshipindia.org **पर तथा डिप्लोमा शिक्षुता के लिए** www.nats.education.gov.in **पर पंजीकृत किया गया होना चाहिए।**

(iv) **न्यूनतम भौतिक मानक :** शिक्षुता नियमावली के खंड 4 तथा उनसे संबंधित संशोधन, यदि कोई हों, में किए गए निर्धारण के अनुसार

(v) **पूर्व प्रशिक्षण:** वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे जो उम्मीदवार पहले से ही शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक अथवा निजी औद्योगिक संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं ।

9. शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आरक्षण:

शिक्षुता प्रशिक्षण सीटो के आरक्षण के संबंध में शिक्षुता नियमावली, 1992 के खंड 5 के प्रावधान लागू होंगे।

10. प्रशिक्षण की अनुसूची :

शिक्षुओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया वर्ष में केवल एक बार की जाएगी।

11. शिक्षुता अनुबंध

(i) चयनित आईटीआई / गैर-आईटीआई (फ्रेशर्स) को शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता अनुबंध करना होगा तथा यदि उम्मीदवार अवयस्यक है तो क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक, कानपुर / उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुसार उसके अभिभावक निर्धारित अनुबंध का निष्पादन कर सकते हैं।

(ii) निगम द्वारा शिक्षु (शिक्षुओं) तथा निगम के बीच निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में निम्नलिखित का समावेश होना सुनिशचित किया जाएगा:

निगम से संबंधित सूचना (नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल);
शिक्षु से संबंधित सूचना (यथा नाम, पता, जन्म तिथि, आयु);
निर्दिष्ट व्यवसाय की अवधि ;
निर्दिष्ट व्यवसाय का नाम तथा वृत्तिका का विवरण ;
अभिभावक से संबंधित सूचना (नाम, पता);
सम्बद्ध नियम तथा शर्तें;

(iii) शिक्षुता अनुबंध के निष्पादन के पश्चात अनुबंध की तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी तथा इन्हें निम्नानुसार धारित किया जाएगा:

i. शिक्षुता अनुबंध की एक प्रति का धारण निगम द्वारा किया जाएगा।
ii. शिक्षुता अनुबंध की एक प्रति शिक्षु को उपलब्ध करवाई जाएगी।
iii. निष्पादन के पश्चात शिक्षुता अनुबंध की एक प्रति निर्धारित समयावधि में शिक्षुता परामर्शदाता को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

12 शिक्षुता की अवधि

शिक्षुता अनुबंध प्रारंभ किए जाने की तिथि से शिक्षुता की अवधि 12 माह होगी।

13 छुट्टीः

शिक्षु के लिए इसकी पात्रता शिक्षुता अधिनियम एवं शिक्षुता नियमावली के अनुसार होगी।

14. वृत्तिकाः

मासिक वृत्तिका का भुगतान शिक्षुता अधिनियम,1961 एवं शिक्षुता नियमावली,1992 के अंतर्गत शासित निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा।

15. यात्रा व्यय:

किसी प्रकार का यात्रा व्यय (टीए/डीए) स्वीकार्य नहीं होगा।

16. बोर्डिंग / लॉजिंग:

किसी प्रकार का बोर्डिंग / लॉजिंग व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

17 शिक्षुता समय

निगम के कार्य समय के अनुसार (प्रात: 9 बजे से सायं 5.30 बजे)

18. शिक्षुता अनुबंध की समाप्ति

12 माह की निर्धारित शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के पश्चात शिक्षुता अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। शिक्षुता की अवधि के दौरान शिक्षु द्वारा किया जाने वाले किसी प्रकार के गैर-अनुशासनिक कृत्य के कारण अनुबंध को रद्द करके प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकेगा।

19. शारीरिक स्वस्थता:

शारीरिक स्वास्थ्य / चिकित्सा परीक्षा के मानक : शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियमावली के अंतर्गत लागू शर्तो के अनुसार उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दस्तावेजों के सत्यापन के समय चयनित उम्मीदवारों को निधारित प्रारूप में सरकार द्वारा प्राधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित), जो केन्द्रीय / राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के रैंक से कम न हो, द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र:

प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान अर्हता परीक्षा (कक्षा 12/10 / आईटीआई) उत्तीर्ण होने से संबंधित मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. प्रशिक्षण पूरा होना तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं का शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात निगम द्वारा उन्हें शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र पर निगम के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तथा यह शिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में निम्नलिखित उल्लेख होगा :

शिक्षुओं का नाम :
पंजीकरण संख्या :
शिक्षुता व्यवसाय
प्रशिक्षण अवधि :

उम्मीदवार शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत "राष्ट्रीय कौशल व्यवसाय प्रशिक्षण" द्वारा आयोजित की जाने वाली अंतिम व्यवसाय परीक्षा में तीन वर्ष की अवधि में भाग लेने के पात्र होंगे।

22. सामान्य शर्तें:

(i) शिक्षुता अधिनियम, 1961, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत उम्मीदवार पहले से ही शिक्षुता प्राप्त अथवा वर्तमान में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा नहीं होना चाहिए।

(ii) ऐसे उम्मीदवार तकनीकी शिक्षुता के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे जिन्होंने निर्धारित अर्हता की प्राप्ति के पश्चात एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए प्रशिक्षण अथवा कार्य अनुभव प्राप्त किया है।

(iii) शिक्षुता की अवधि पूरी होने के पश्चात शिक्षुओं को नियमित रोजगार प्रदान के संबंध में एल्मिको उत्तरदायी नहीं होगा। शिक्षुता की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

(iv) प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षु निगम की सम्बद्ध नियमावलियों / नीतियों / दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रशिक्षण हेतु लगाये जायेगें।

(v) उम्मीदवारों की पात्रता, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, चयन की विधि, चयन प्रक्रिया को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द करना, उच्चतर शिक्षा इत्यादि से संबंधित प्रबंधन के सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे। इसके संबंध में किसी भी प्रकार का पत्रव्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर सीटों को प्रबंधन के विवेकानुसार भरा जाएगा तथा अनुपयुक्तता / अपर्याप्त संख्या के कारण यदि कोई सीटें भरी नहीं जाती हैं तो स्वीकृति के संबंध में प्राप्त किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

व्यवसाय / क्षेत्र

(अ) मुख्यालय में आईटीआई शिक्षुओं के लिए:

क्र.सं.	व्यवसाय	शैक्षणिक अर्हता
1	फिटर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
2	इलेक्ट्रीशियन	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
3	इलेक्ट्रानिक मेकैनिक	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
4	मशीनिस्ट	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
5	टर्नर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित

6	वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक)	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
7	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (कोपा)	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
8	प्लम्बर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
9	मैकेनिक मशीन टूल अनुरक्षण	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
10	शीट मेटेल वर्कर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
11	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित

(ब) मुख्यालय में तकनीशियन शिक्षु (डिप्लोमा धारक) के लिए :

क्र.सं.	व्यवसाय	शैक्षणिक अर्हता
1	कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पर पोर्टल पर नामांकित।
2	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित
4	आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवालय व्यवहार	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित

5	विद्युत अभियंत्रण	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित

टिप्पणी: (1) शिक्षु को मुख्यालय में आरडीएटी / बीओएटी, कानपुर द्वारा आबंटित कोटे के अनुसार प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा।

(2) एल्मिको के अन्य सहायक केन्द्रों में शिक्षुओं को संबंधित आरडीएटी / बीओएटी द्वारा आबंटित कोटे के अनुसार निगम की ओर से जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा।